सांसद आदर्श ग्राम योजना से निखरेंगे गांव

—सुधांशु सिंह

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सोच थी कि गांवों को सामुदायिक भागीदारी के जरिए विकसित किया जाए। इसी अवधारणा को मानते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक की जयंती के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की। निश्चित तौर पर अभी तक जिन गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है वहां की तस्वीर बदलने लगी है। 2016 तक प्रत्येक सांसद एक-एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में हर सांसद दो और गांवों को 2019 तक आदर्श गांव बनाएंगे।

भारत गांवों का देश है। अभी भी ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक भारत पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गांवों को पूर्ण रूप से विकसित करने का बीड़ा उठाया है। चूंकि अभी तक तमाम योजनाओं के जरिए गांवों का विकास करने की कोशिश की जाती रही है। यह कोशिश शत–प्रतिशत फलीभूत नहीं हो सकती है। सांसद निधि हो या विधायक निधि अथवा ग्राम पंचायत निधि। हर निधि से गांवों का विकास करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कुछ खास गांवों को छोड़ दिया जाए तो देश के ज्यादातर गांवों की तस्वीर पूरी तरह से नहीं बदलती है। जबकि हर पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य होता है कि गांवों में शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन कोशिशों में कहां चूक हुई, इसे जानने की जरूरत है। दरअसल सांसद विधायक अथवा अन्य निधियों से पैसा तो जारी कर दिया जाता है। योजनाएं तैयार होती हैं और उन्हें लागू भी कर दिया जाता है, लेकिन उनकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है। यही वजह है कि विभिन्न निधियों से पैसा खर्च होने के बाद भी गांव में तरक्की की तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती है। यदि किसी गांव में सड़क, पेयजल, बिजली आदि की सुविधाएं हो भी जाती हैं तो वहां कुछ साल गुजरने के बाद फिर से अव्यवस्था नजर आती है। इसके पीछे मूल कारण है– संबंधित गांव की नियमित तौर पर मानीटरिंग न हो पाना। इसके समाधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नया तरीका अपनाया है। उन्होंने तय किया कि हर सांसद गांवों को गोद लेगा।

भारतीय संस्कृति में गोद लेने का मतलब बहुत ही व्यापक है। जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को गोद में उठाकर दुलारते हैं। उनकी परवरिश करते हैं। उसी तरह सांसदों को गांव गोद लेने की योजना के जरिए संबंधित गांव के प्रति आगाध प्रेम हो जाएगा। एक तरह से केंद्र सरकार ने इस योजना के जरिए जनप्रतिनिधियों और गांव को प्रेम की डोर में बांधने का कार्य किया है। जब कोई भी सांसद किसी गांव को गोद लेगा तो वह उसमें काफी वक्त देगा। संबंधित गांव को आदर्श बनाने में जितना वक्त लगेगा, उतने वक्त में वह संबंधित गांव के हर व्यक्ति का चहेता बन जाएगा। यानी जनता से सीधे संपर्क होने की वजह से उसका प्रेमभाव भी बढ़ेगा। जब किसी गांव से संबंधित जनप्रतिनिधि का आगाध प्रेम हो जाएगा तो वह किसी भी कीमत पर उस गांव की समस्या को अनदेखी नहीं करेगा। यानी अपनी निगरानी में गोद लिए गांव का न सिर्फ समुचित विकास कराएगा बल्कि विकास होने के बाद भी उनकी निगरानी रखेगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ सांसद आदर्श गांव की परिकल्पना की गई है। निश्चित रूप से इस प्रयास का असर पहले चरण में गोद लिए गांवों में दिखने भी लगा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार की ओर से 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत

की गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधीजी 1915 में विदेश से वापस आए। दो साल के भीतर–भीतर उन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया, वही बिहार के चंपारण में जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इतने बड़े आजादी के आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था गांधीजी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्य साथी नानाजी देशमुख ने भी गांवों को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से, इसको हमें आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की यह सोच ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

इस योजना के तहत राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव को गोद लेंगे। गोद लिए गए गांव में सांसद 2016 तक समुचित विकास कराएंगे ताकि वह आदर्श ग्राम हो सके। केंद्र सरकार की ओर से आदर्श ग्राम योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित आदर्श ग्राम में हर वर्ग के व्यक्ति को योजनाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। गांव में निवास करने वाले गरीबों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अच्छी जिंदगी जी सके। आदर्श ग्राम योजना में सिर्फ आधारभूत विकास पर ही तवज्जो नहीं दिया जा रहा है बल्कि समूचे समुदाय को प्रशिक्षित करने की भी जिम्मेदारी निभाई जा रही है। वहां रहने के लिए आवास, आवागमन के लिए सड़क का निर्माण तो होगा ही; साथ ही लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसके लिए समूचे समुदाय को जागरूक किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि लैंगिक असमानता की वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी भी हमारे समाज में महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसकी जरूरत है। ऐसी स्थिति में सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक अहम उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं को समाज में वह सम्मान दिलाया जाए, जिसकी वह हकदार हैं। अभी भी ग्रामीण इलाके में तमाम ऐसे छोटे–छोटे विवाद होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में मुकदमों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आदर्श ग्राम योजना में भी प्रावधान किया गया है।

सांसद की ओर से चुने गए आदर्श ग्राम में समुदाय के बीच जागरुकता पैदा करके यह भी कोशिश की जाएगी कि छोटे–छोटे विवाद को आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जाए। जब तक जरूरी न हो मुकदमेबाजी न हो क्योंकि इससे कई तरह के नुकसान है। एक तो वादकारी का आर्थिक नुकसान होता है दूसरे अदालतों का जो वक्त गंभीर मुकदमों में खर्च होना चाहिए वह छोटे–मोटे विवाद में खर्च होने से बच जाएगा। ऐसी स्थिति में आदर्श ग्राम योजना में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा जोर सफाई व्यवस्था पर है। हमारे आसपास का माहौल जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक सेहत पर खतरा मंडराता रहता है। ऐसी स्थिति में आदर्श ग्राम योजना में सामुदायिक स्वच्छता पर भी जोर रहेगा। यानी ग्राम पंचायत में ऐसे तमाम विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसकी वजह से स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। साथ ही, लोगों को सामुदायिक भागीदारी के जरिए भी अपने गांव को स्वच्छ रखने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक दूसरा पहलू है प्रकृति के सहचर के रूप में रहने के लिए विकास और पारिस्थितिकी के बीच संतुलन सुनिश्चित करें। इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। गांव में मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने और उसे बचाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत में आ रहे क्षरण को रोका जा सके। इसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत समुदाय विशेष के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाने, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बरतने,स्थानीय स्वशासन की भावना को विकसित करने, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में प्रतिष्ठापित मूल्यों का पालन करने का भी प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि सांसद आदर्श ग्राम पंचायत के जरिए संबंधित ग्राम पंचायत को इस कदर विकसित किया जाए कि वह अपने आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए नज़ीर बन सके। वह आस–पड़ोस की पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो, ताकि उससे प्रेरित होकर दूसरे गांवों के लोग भी तरक्की की राह पर अग्रसर हो सकें।

हजारों गांव हो जाएंगे आदर्श ग्राम

सांसद आदर्श ग्राम योजना को चरणवार चालू करने के पीछे मूल मकसद है चरणबद्ध तरीके से भारत के गांवों का विकास किया जाए। इस तरह देखा जाए तो लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सांसदों को मिलाकर कुल सांसद 795 हैं। यदि सभी एक–एक गांव को गोद लिए हैं तो पहले चरण में 2016 तक देश के 795 आदर्श गांव बन जाएंगे। जबकि 2019 तक हर सांसद दो और गांव आदर्श बनाएंगे तो 1590 आदर्श गांव और

हो जाएंगे। यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है चूंकि कई आईआईटी जैसे संस्थानों ने भी कई गांवों को गोद लिया है।

आदर्श ग्राम की गतिविधियां

एक आदर्श ग्राम में ग्राम पंचायत, नागरिक, समाज और सरकारी मशीनरी में लोगों को दृष्टिकोण साझा करने की पहल करनी होगी। उनकी अपनी क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का हर संभव सर्वोत्तम उपयोग विधिवत तरीके से सांसद द्वारा समर्थित होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक आदर्श ग्राम संदर्भ विशिष्ट होगा।

कैसा होगा एक आदर्श गांव

आदर्श ग्राम योजना में किन गांवों को शामिल किया जाए, इसके लिए भी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत देश के मैदानी इलाकों में स्थित उन गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, जहां की आबादी तीन हजार से पांच हजार के बीच होगी। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में उन गांवों को शामिल किया जाएगा, जहां की आबादी पंद्रह सौ से तीन हजार के बीच होगी। इसमें खास बात यह है कि कोई भी सांसद अपने पैतृक गांव को पहले चरण में नहीं चुन सकता है। शहरी इलाकों के सांसद अपने बगल की लोकसभा सीट का कोई गांव चुनेंगे।

तीन चरण में होंगे कार्य

आदर्श गांव बनाने के लिए तीन चरणों में कार्य किया जाएगा। इसके तहत ऐसे काम, जिन्हें चंद दिनों में पूरा किया जा सकता है, उन्हें पहले चरण में तीन माह के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके तहत गांव की सफाई और हरा–भरा बनाने का काम, स्कूल और आंगनबाड़ी में गांव के सौ फीसदी बच्चों का नामांकन, सबको स्वास्थ्य सुविधा देने की प्रक्रिया आदि को शामिल किया जाएगा।

इसके बाद मध्यम अवधि वाले काम यानी ऐसे काम जिन्हें पूरा होने में एक साल का वक्त लगेगा, उन्हें दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। जबकि लंबी अवधि तक चलने वाले कार्यों को अंतिम चरण में शामिल किया जाएगा। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के सभी ग्रामीणों को हेल्थ और आधार कार्ड मिलेगा। स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। हर गांव अपना एक आर्थिक एजेंडा तय करेगा और उस गांव में उत्पादित होने वाली चीजों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाएगा और दिशा में काम करेगा।

सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी

सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सामाजिक भागीदारी भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण अपने संसाधन के आधार पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हर गांव अपना जन्मदिन मनाएगा। इसके तहत गांव के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को बुलाकर उसका सम्मान किया जाए और गांव के बुजुर्ग का भी सम्मान हो। यदि गांव का कोई स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हो तो उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। उन्हें यह आभास कराया जाए कि पूरा गांव उनके साथ है। इन सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सांसद को जिम्मेदार बनाया गया है।

यह भी दिया प्रस्ताव

योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि राज्य भी विधायकों के लिए अगर कोई स्कीम बनाता है, और विधायक के नेतृत्व में आदर्श ग्राम बनते हैं तो हर साल छह–सात हजार गांव और जुड़ जाएंगे। अगर एक ब्लॉक में 10 गांवों को गोद लेकर विकास किया जाता है तो दो साल के अंदर भारत के गांव अलग तरह के दिखेंगे।

इन बुनियादी सुविधाओं का विकास

सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव में विकास कार्य तो तमाम कराए जाएंगे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर विशष जोर रहेगा। इसके तहत गांव में स्कूल, हॉस्पिटल, पुस्तकालय, व्यायाम और खेल के लिए भी मैदान जैसी सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ई–साक्षर करने की भी योजना है। साथ ही हिंसा और अपराध मुक्त गांव बनाया जाएगा। गांव के हर घर व सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।

सुशासन लाने का प्रयास

आदर्श ग्राम योजना के जरिए ग्राम पंचायत में सुशासन लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके जरिए मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जाएगा। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी नागरिकों के पास यूआईडी कार्ड होगा। इसी तरह ई–शासन के तहत समयबद्ध सेवा देने की योजना है। इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्राम पंचायत की सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर स्थानीय भाषा में योजना और समस्या के निस्तारण की तिथि अंकित करनी होगी। किस मद में कितनी राशि का बजट है और कितना खर्च हुआ है, इसे दीवार पर लिखना होगा। गांव में शिकायत निवारण केंद्र बनाया जाएगा जहां ग्रामवासी के शिकायत करने पर उसका निवारण लिखित उत्तर के साथ तीन सप्ताह के भीतर करना होगा। इसी तरह पशुधन विकास के साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए

कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पर्यावरण विकास, रोड साइड पौधारोपण, बिजली की व्यवस्था की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान

सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के हर पात्र व्यक्ति को पेंशन देने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें वृद्धावस्था, विकलांगता व विधवाओं के लिए मिलने वाली पेंशन शामिल होगी। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और अनाज के लिए पीडीएस की सुविधा होगी।

निगरानी का भी किया गया है प्रावधान

सांसद आदर्श ग्राम योजना में निगरानी का भी प्रावधान किया गया है। जहां इस योजना के तहत चलने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्य करेगा वहीं राष्ट्रीय स्तर पर दो अतिरिक्त समितियां भी कार्य करेंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, जिसका काम निर्णय लेना, योजना बनाना और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों के साथ विचार कर उन मंत्रालयों की भागीदारी को सुनिश्चित कराना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में दूसरी समिति होगी। इसमें अन्य मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें पंचायती राज, भूमि संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय अधिकारिता, पर्यावरण, खेल व युवा मामलों आदि मंत्रालय को शामिल किया गया है।

स्रोत

- प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट।
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट।

(लेखक जयपुर स्थित प्रबंधन संस्थान से जुड़े हैं और स्वतंत्र लेखक हैं।)
ई–मेल: sudhanshusingh654@gmail.com

कर्नाटक के मांडया में तय लक्ष्य से अधिक शौचालय बने

कर्नाटक का मांडया जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण का तय लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिले में अक्तूबर 2014 तक 31,425 शौचालय बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। यहां लक्ष्य से भी अधिक 40,000 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

यहां अध्यापकों को ऐसे छात्रों की पहचान की जिम्मेदारी दी गई थी जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं। उनके अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करने का जिम्मा भी अध्यापकों को ही सौंपा गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी शौचालय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जिले में सफाई के महत्व को रेखांकित करते हुए नाटक भी आयोजित किए गए और इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए काफी प्रचार किया गया।

(पसूका से साभार)